

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2 रायपुर, दिनांक 14-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 14th December 2015

No./5192/F-20/15/2014/14-2.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than One Market Areas) Rules, 2006, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the Section 79 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S-4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENTS

In the said Rules :—

For clause (a) of rule 4, the following shall be substituted, namely :—

“(a) Trader/Processor/Commission Agent/ Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand)”
Surveyor/Warehouseman/Godown Keeper.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. लेवे, अवर सचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अर्शिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसायटी, जगदलपुर.	एक्सिस बैंक के सामने, चौहान विला (सेकण्ड फ्लोर) नयापारा जगदलपुर.	राजस्व जिला जगदलपुर

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायेगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/आर-1708/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार श्री निर्मल सिन्हा, ग्राम पो. हसौद (बिरा) जिला-जांजगीर-चांपा को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो, बी.एस.बी.के. हाउस के सामने, नंदिनी रोड, पावर हाउस, भिलाई, जिला दुर्ग को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 5-1/2007/43.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-04-2007 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में श्री खुबचंद पारख को बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष आगामी आदेश पर्यन्त नामांकित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
अधिसूचना

07 DEC 2015
नया रायपुर दिनांक

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.लेवे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

नया रायपुर, दिनांक

/12/2015

पू0क्रमांक एफ-19-112/2015/25-2
प्रतिलिपि :-

07 DEC 2015

- (1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
- (3) सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
- (4) रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग.उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
- (5) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (6) निज सचिव, मान.मंत्री, छ0ग0शासन (समस्त)
- (7) उप सचिव, मुख्य सचिव छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर।
- (8) सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- (9) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
- (10) नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनादगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशित करने बाबत।
- (11) आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
- (12) शासन के समस्त विभागाध्यक्ष।
- (13) संभागायुक्त रायपुर / बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा छ0ग0
- (14) समस्त कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक।
- (15) जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर।
- (16) सचिव, छ.ग.राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- (17) श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर की ओर पालनार्थ।
- (18) आर्डर फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग



(569)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
(संशोधित)

// अधिसूचना //

18 JAN 2016

दिनांक /01/2016

क्रमांक/एफ-19-12/2015/25-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो, बी.एस.बी.के. हाउस के सामने, नदिनी रोड, पावर हाउस, पिलाई, जिला दुर्ग को आगापी आवेष्ट पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डी.डी. कुजीम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि.


पु0क्रमांक/एफ-19-12/2015/25-2

रायपुर दिनांक /01/2016

प्रतिलिपि :-

18 JAN 2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, आ.जा. तथा अनु. जा.वि.वि. महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
10. सभागीय आयुक्त - रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सयुजा/दुर्ग
11. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
12. सचिव, छ.ग.राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
14. निर्यंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
15. श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो, बी.एस.बी.के. हाउस के सामने, नदिनी रोड, पावर हाउस, पिलाई, जिला दुर्ग को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. ऑर्डर बुक।


(डी.डी. कुजीम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि.